गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 द्वारा प्रमाणित संस्था)

संजयनगर योजना स्थित शिल्प उद्यान में

प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन की नियम एवं शर्तो की विवरणिका

एक सुन्दर शहर........................हमारा संकल्प

मूल्य–रू0 1298.00 जी0एस0टी0 सहित

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O. 14001:2004 द्वारा प्रमाणित संस्था)

<u>नीलामी (Auction) हेतु आवेदन एवं नियम व शर्तेः–</u>

कार्य का नामः– संजयनगर योजना स्थित शिल्प उद्यान में दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन का कार्य।

1. पार्क में प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन की अवधि दो वर्ष होगी।
2. प्रस्तावक को शिल्प उद्यान हेतु रू0 50,000.00 (पचास हजार) मात्र धरोहर राशि डी0डी0 जो उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय हो, प्रस्ताव के साथ जमा करानी होगी।
3. प्रस्तावक को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र व फोटो पहचान पत्र की प्रति जमा करानी होगी।
4. यह कि इस नीलामी द्वारा पार्क में प्रवेश शुल्क व्यवस्था का संचालन दिनांक......................से दिनांक........................... तक दो वर्ष की अवधि हेतु अनुमन्य होगा। प्रत्येक वर्ष नीलामी की धनराशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
5. यह कि नीलामी अवधि समाप्त होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की अनुमति से ही नीलामी विलेख का नवीनीकरण हो सकेगा। नीलामी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा विचारोपरान्त नीलामी नवीनीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा। नीलामी नवीनीकरण की अनुमति न प्रदान किये जाने पर एजेन्सी को स्थल का कब्जा प्राधिकरण को वापस सौंपना होगा।
6. यह कि नीलामी पर दिये गये स्थल को अतिक्रमण मुक्त रखने की समस्त जिम्मेदारी एजेन्सी की होगी व नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति के आकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा और स्थल पर ऐसी गतिविधि संचालित नहीं करेगा जिससे नीलामीदाता का स्वामी होना प्रदर्शित होता हो।
7. यह कि नीलामी पर दी गयी सम्पत्ति एवं उसके अनुरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या अन्य देयता के अदा करने का दायित्व नीलामीदाता का होगा, नीलामीकर्ता उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
8. पार्कों में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है।
9. प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम प्रस्ताव के आधार पर तय धनराशि वार्षिक किस्तो में अग्रिम रूप में जमा करानी होगी।
10. उच्चतम प्रस्तावक को 25 प्रतिशत धनराशि तत्समय जमा करनी होगी। प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक की बोली की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उसकी भी जमानत जब्त करते हुए प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी का चयन किया जायेगा।
11. आयकर प्राविधानों के अनुसार प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन हेतु प्राप्त उच्चतम प्रस्ताव की धनराशि पर निर्धारित देय कर व प्रशासन/राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का कर लागू किये जाने की दशा में उक्त धनराशि अतिरिक्त रूप से प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन स्वीकृति के पश्चात प्राधिकरण कोष में जमा करानी होगी।
12. विशेष परिस्थितियों में स्थान परिवर्तन एवं किसी भी समय नीलामी को निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा।
13. नीलामी के सम्बन्ध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनो पक्षो को मान्य होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जिला गाजियाबाद होगा।

15. यदि प्राधिकरण द्वारा प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन समाप्त की जाती है तो संचालनकर्ता को शेष अवधि के लिए अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्चे पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार गाजियाबाद द्वारा निर्धारित दरो के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपरो पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।

17. एजेन्सी अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नहीं करेगी, ऐसा करने की दशा में नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

18. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे।

19. संचालनकर्ता को नियत दरो को अंकित करते हुए कूपनों/टोकनों की व्यवस्था करनी होगी। तदानुसार ही संचालनकर्ता धनराशि वसूल कर सकेगा। यदि संचालनकर्ता द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया तो नीलामी को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और कोई भी आनुपातिक धनराशि आदि वापस नहीं की जायेगी।

20. नीलामीदाता शिल्प उद्यान हेतु प्रवेश शुल्क के रूप में रू0 10.00 प्रति व्यक्ति से अधिक से दर वसूल नहीं करेगा, और इसके लिए निर्धारित दर का टिकट कूपन जारी करेगा, जो प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा।

21. नीलामीदाता द्वारा शिल्प उद्यान हेतु नागरिकों के लिए निम्नानुसार दर से पास निर्गत किये जायेंगे, जिसका प्रारूप प्राधिकरण से अनुमोदित कराना होगा।

क्र0सं0	विवरण	पास दर प्रति माह	पास दर प्रति तीन माह	पास दर प्रति छः माह	पास दर प्रति एक वर्ष
1.	पारिवारिक (प्रति कपल)	रू0 250.00	रू0 500.00	रू0 1000.00	रू0 2000.00
2.	प्रति व्यस्क व्यक्ति	रू0 150.00	रू0 300.00	रू0 750.00	रू0 1500.00

22. नीलामीदाता द्वारा टिकट/पास के निर्धारित शुल्क से अधिक धनराशि वसूल नहीं की जायेगी। शर्त के उल्लंघन की दशा में नीलामी निरस्त कर दी जायेगी तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और कोई भी आनुपातिक धनराशि आदि वापस नहीं की जायेगी।

23. पार्क के खुलने का समय–शरद ऋतु में प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 7:00 बजे तक तथा ग्रीष्म ऋतु में प्रातः 5:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक रहेगा।

24. प्रत्येक राष्ट्रीय अवकाश के दिवस में प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

25. वरिष्ठ नागरिक एवं 12 वर्ष तक आयु वर्ग के स्कूली छात्र–छात्राएं तथा अन्य बच्चें एवं प्राधिकरण अधिकारी कर्मचारियों, पत्रकार एवं विकलांग के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

26. नीलामीदाता पार्क में उपलब्ध विद्युत व्यवस्था से सामान्य उपयोग कर सकेंगे। विद्युत कट के समय एवं अतिरिक्त आवश्यकता हेतु विद्युत व्यवस्था नीलामीदाता को स्वयं करनी होगी, जिसके लिए प्राधिकरण द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

27. माननीय न्यायालयों, राज्य सरकार तथा प्रशासन द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन करना होगा।

28. विशेष परिस्थितियों में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा कि यह बिना कारण बताये एक माह का नोटिस देकर नीलामी समाप्त कर सकते है। परन्तु ऐसी दशा में नीलामीदाता को अवशेष अवधि की ही अनुपातिक धनराशि प्राधिकरण द्वारा वापस की जायेगी।

29. प्रवेश शुल्क की दरो के सम्बन्ध में स्थल पर सूचना पट जिसमें एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बन्ध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।

30. प्रवेश शुल्क व्यवस्था पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी)

नेमप्लेट सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी।

31. प्रवेश स्थल पर उपलब्ध एवं विकसित सुविधाओं जैसे–उद्घोषणा हेतु माईक, टिकट केबिन, सूचना पट आदि के रख–रखाव का दायित्व नीलामीदाता का होगा एवं उसमें होने वाली किसी भी क्षति की प्रतिपूर्ति नीलामीदाता को करनी होगी।

32. नीलामीदाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसके कर्मचारीगण जो प्रवेश शुल्क व्यवस्था में लगाये गये है का आचरण सही है, तथा किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में संलिप्त नहीं है।

33. नीलामीदाता को प्रवेश शुल्क व्यवस्था पर लगाये गये कर्मचारियों का नाम, स्थाई पता तथा फोटो प्राधिकरण में जमा करने होंगे।

34. नीलामीदाता द्वारा प्रवेश शुल्क व्यवस्था पर लगे कर्मचारीगणों को परिचय पत्र जारी करना होगा, तथा प्रवेश टिकट जारी करते समय कर्मचारी को परिचय पत्र लगाना अनिवार्य होगा।

35. प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन में लगाये गये सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आयु के निरोगी/स्वस्थ हो तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Labour Act), ई0एस0आई0, पी0एफ0 आदि का उत्तरदायित्व संचालन कर्ता का होगा।

36. उपरोक्त शर्तो में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुये नीलामी निरस्त कर दी जायेगी तथा प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में ठेकेदार को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नहीं होगा।

प्रभारी उद्यान
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद

मैने उपरोक्त 1 से 36 तक सभी शर्तो को पढ़ लिया है और सुन लिया है व समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर रू0.......................................शब्दों में .... प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर बोलीदाता

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

(I.S.O. 9001:2015 एवं I.S.O. 14001:2015 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक /उद्यान/20 दिनांक............/........./2020

नीलामी सूचना

उपाध्यक्ष गाजियाबद विकास प्राधिकरण की तरफ से प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निम्नानुसार कार्यों हेतु नीलामी प्रस्तावित हैः–

क्र. सं.	कार्य का विवरण	समय अपरान्हः–3:30 बजे				स्थलः–प्राधिकरण सभागार			
		स्थलों की संख्या	ठेका अवधि	आरक्षित दर (एक वर्ष के लिए ₹)	फार्म फीस जी0एस0टी0 सहित	धरोहर राशि (₹)	फार्म विक्रय की प्रारम्भ तिथि	फार्म विक्रय की अन्तिम तिथि	नीलामी आहुत करने की तिथि
1.	**संजयनगर योजना स्थित शिल्प उद्यान में 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन का कार्य।**	**01**	**2 वर्ष**	**2,03,500.00**	**1298.00**	**50,000.00**	**27.12.2020**	**05.01.2021**	**07.01.2021**
2.	राजेन्द्र नगर योजान स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क में स्थापित ओपन जिम का दो वर्ष की अवधि के लिए संचालन का कार्य।	01	2 वर्ष	1,98,000.00	1298.00	50,000.00	27.12.2020	05.01.2021	07.01.2021
3.	इन्दिरापुरम योजना स्थित स्वर्णजयन्ती पार्क में निर्मित 04 नग फूड कोर्ट का दो वर्ष की अवधि के लिए संचालन का कार्य।	01	2 वर्ष	8,71,200.00	1298.00	1,00,000.00	27.12.2020	05.01.2021	07.01.2021
4.	राजेन्द्र नगर योजान स्थित डा0 राम मनोहर लोहिया पार्क की पार्किंग का दो वर्ष की अवधि के लिए संचालन का कार्य।	01	2 वर्ष	11,00,000.00	1298.00	1,00,000.00	27.12.2020	05.01.2021	07.01.2021
5.	इन्दिरापुरम योजना में स्थित ग्रीन पार्क एवं बाल क्रीडा उद्यान में दो वर्ष की अवधि के लिए प्रवेश शुल्क व्यवस्था संचालन का कार्य।	01	2 वर्ष	6,43,500.00	1298.00	1,00,000.00	27.12.2020	05.01.2021	07.01.2021

नीलामी से सम्बन्धित सूचना प्राधिकरण की वैबसाईट www.gdaghaziabad.com पर देखी तथा नियम व शर्तों की विवरणिका निर्धारित शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा करके उद्यान अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है।

प्रभारी उद्यान
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद